न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 07/25 **निर्णय दिनांकः–** 14-10-25
(जीसीएमएस संख्या 2025/5)

1. समीम खातून पत्नि नियाज मोहम्मद जाति मुसलमान पठान निवासी 7 सी एच टी एम तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. राकेश कुमार पुत्र नरेश कुमार जाति अरोडा निवासी छतरगढ हाल चक 7 सी एच डी एम तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।
2. नियाज मौहम्मद पुत्र रहीम खां जाति मुसलमान निवासी चक 7 सी एच टी एम तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।
3. स्टेट जरिये तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 19–12–2024
उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर।

उपस्थितः–

1. श्री प्रहलाद जाखड, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक रेस्पोडेंट
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

अपील संख्याः 09/25 **निर्णय दिनांकः–**
(जीसीएमएस संख्या 2025/8)

1. राकेश कुमार पुत्र नरेश कुमार जाति अरोडा निवासी छतरगढ हाल चक 7 सी एच डी एम तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. समीम खातून पत्नि नियाज मोहम्मद जाति मुसलमान पठान निवासी 7 सी एच टी एम तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. स्टेट जरिये तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 19–12–2024
उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर।

उपस्थितः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री प्रहलाद जाखड, अभिभाषक रेस्पोडेंट
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 19–12–2024 जिसके माध्यम से अपीलांट द्वारा चाहा गया रास्ता ना देकर घुमावदार रास्ता दिया गया के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत कि गई है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

2. चूंकी उपरोक्त दोना अपील एक ही आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कि गई है अतः दोनो अपील में एक निर्णय लिखवाया जाकर निर्णय प्रति दोनो पत्रावलियों में शामिल कर दि जायेगी। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट चक 7 सीएचटीएम के मुरब्बा नंबर 140/7 में किला नंबर 13 ता 25 में 12.10 बीघा भूमि खातेदार है। इसी मुरब्बे में रेस्पोडेंट नंबर 1 की किला नंबर 3 ता 8, 12, 13 की 8 बीघा भूमि है अपीलांट ने किला नंबर 5 व 6 में रास्ता देने के लिए अदालत मातहत् के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया लेकिन अदालत मातहत ने किला नंबर 5 व 6 से रास्ता ना देकर किला नंबर 3, 8 व 12 में रास्ता दिया गया है यह रास्ता काफि घुमावदार है। किला नबर 13 में 10 बिस्वा भूमि अपीलांट की तथा शेष 10 बिस्वा भूमि रेस्पोडेंट नंबर 1 की है। अपीलांट को जो रास्ता दिया गया है व घूमावदार रास्ता है किला नंबर 8 से चिपता किला 13 है अतः किला नंबर 13 में से रास्ता न दिया जाकर किला नंबर 12 से रास्ता दे दिया गया है जो कि काफि घुमावदार रास्ता है। अपीलांट को चाहा गया रास्ता ना देकर किला नंबर 3 व 8 से जो रास्ता दिया गया है वह रास्ता सही है लेकिन आगे जाकर किलां नंबर,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

13 की जगह किला नंबर 12 से रास्ता दे दिया गया है किला नंबर 12 से किला नंबर 15 तक जाने हेतु रास्ता बहुत घुमावदार हो गया है। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस को आगे निरंतर रखते हुए कथन किया कि अदालत मातहत ने केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट पर ही रास्ता स्वीकृत कर दिया जो विधि विरूद्ध एवं कानूनन गलत है। अपीलांट ने कथन किया अदालत मातहत ने अपीलांट की प्लीडींग से बाहर जाकर अपीलांट को रास्ता स्वीकृत किया है जो कि अदालत मातहत के क्षेत्राधिकार से बाहर है अदालत मातहत ने तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करके रास्ता स्वीकृत कर दिया जो कि पूर्णतया खिलाफ कानून व कायदा व खिलाफ इंसाफ व उसूल के है तथा पत्रावली में उपरोक्त तथ्यों के विपरित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं किला नंबर 12 में जो रास्ता स्वीकृत किया गया है। उसमें संसोधन कर किला नंबर 12 की जगह किला नंबर 13 से रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा चक 7 सीएचटीएम के मुरबा नंबर 140/7 के किला नंबर 13 ता 25 तादादी 12.50 बीघा खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु किला नंबर 5, 6 से होकर रास्ता स्वीकृत हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया जो कतई सही नही है क्योकि अपीलांट अपने खेत किला नंबर 15 में प्रवेश करने हेतु पडोसी खेत दिलीप मोदी के खेत से जो मूल हाईवे पर पडता है, उस रास्ते से आवागमन करता है। अपीलांट ने जिस किला नंबर 5, 6 मे से रास्ते की मांग की है जो कि गलत है वहां अपीलांट की शुरू से ढाणी बनी हुई है। तो फिर यहा से रास्ता कैसे दिया जा सकता है। गिरदावर की रिपोर्ट में भी स्पष्ट है कि यहा बडे पेड ढाणी बनी हुई है अतः यहा रास्ता नही दिया जा सकता है। अदालत मातहत ने रास्ता स्वीकृत करने से पहले किसी भी प्रकार के मौके की जांच नहीं कि अपीलाधीन आदेश से जो रास्ता दिया गया है उससे मेरा रकबा दो भागों में बंट गया है जो काबिल काश्त नहीं रहा है। अदालत मातहत ने सभी नियमों व कानूनों को ताक पर रख अपीलांट से मिली भगत कर रास्ता स्वीकृत किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अदातल मातहत द्वारा पारित आदेश कानून की मंशा के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है अदालत मातहत ने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन भी नहीं किया तथा जैर अपील आदेश पारित कर दिया जो कानूनन गलत है एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है तथा तहसीलदार द्वारा उक्त रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता की रिपोर्ट के अनुसरण में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट/रेस्पोडेन्ट राकेश कुमार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा चक 7 सीएचटीएम के मुरब्बा नम्बर 140/7 के किला नम्बर 3, 8 के पश्चिम दिशा में एवं किला नम्बर 13/2 के उतरी–पश्चिमी दिशा, किला नम्बर 12 के उतरी एवं पश्चिमी दिशा में 2–2 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

रास्ते संबंधी प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है:–

1:– रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।

2:– वैकल्पिक रास्ते का अभाव।

3:– उपलब्ध विकल्पों में से निकटतम रास्ता।

7. पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि अपीलांट(09/25) / रेस्पोडेंट (07/25) श्री राकेश कुमार की भूमि मुरब्बा नंबर 140/7 के किला नंबर 13, 14, 15, 16 ता 25 में स्थित है। मुरबा नंबर 140/6 के किला नंबर 21 ता 25 में रास्ता पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अपीलांट(09/25)/रेस्पोडेंट(07/25) के खेत में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से रास्ते की अत्यंत आवश्यकता साबित है इस पर दोनो पक्षों में कोई विवाद भी नहीं है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रार्थी राकेश कुमार के खेत में जाने हेतु कोई रास्ता

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपलब्ध नही है वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। अतः रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ते के अभाव का बिन्दू साबित है।

दोनो पक्षो के द्वारा अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अलग–अलग हस्तगत अपीले पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी राकेश कुमार द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील का मुख्य आधार यह है कि अपीलाधीन आदेश द्वारा निकटतम/लघूतम रास्ता स्वीकृत नही किया गया है। वही अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी समीम खातून द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील का आधार यह है कि अपीलाधीन आदेश द्वारा रास्ते की भूमि के बदले भूमि दिये जाने का अनुतोष प्रदान नही किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि राकेश कुमार की भूमि मुरब्बा नम्बर 140/7 के किला नम्बर 13, 14, 15, 16 ता 25 में स्थित है। इस भूमि के निकट मुरबबा नम्बर 140/6 के किला नम्बर 21 ता 25 में चालू रास्ता उपलब्ध है। मौका रिपोर्ट के मुताबिक मुरब्बा नम्बर 140/7 के किला नम्बर 5 व 6 के पश्चिम दिशा में 2–2 बिस्वा रास्ता दिया जाना उचित है तथा यह निकटतम रास्ता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

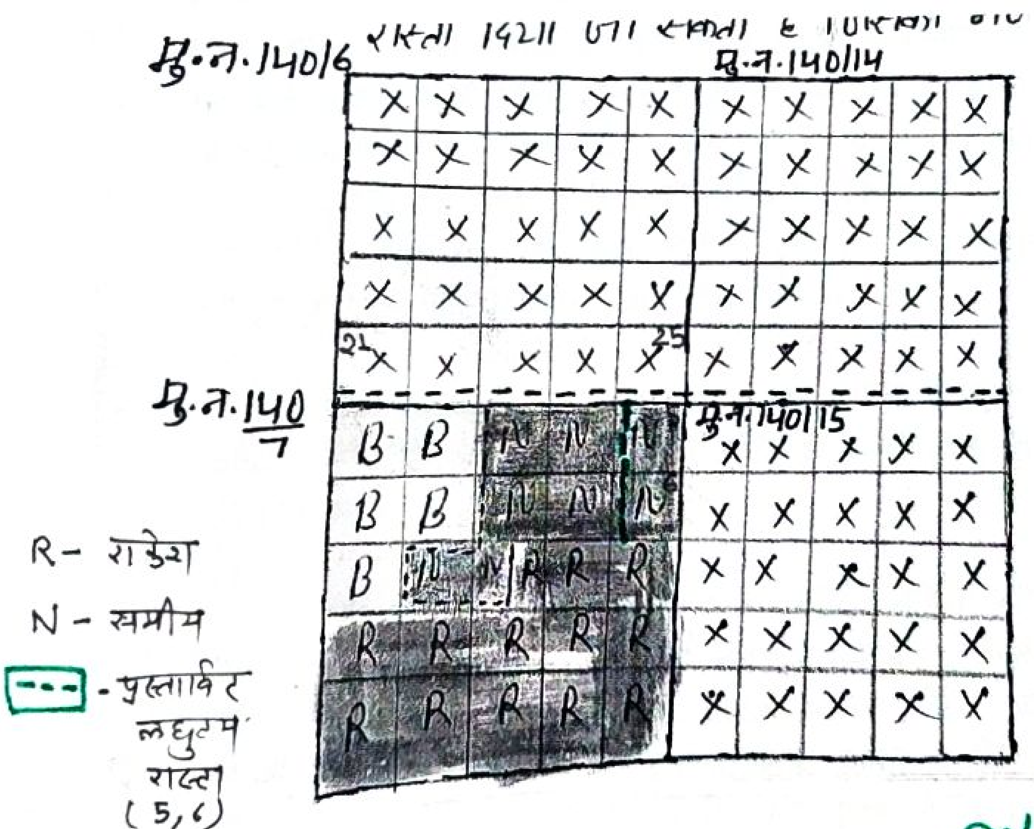

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व बहस से किला नम्बर 5 व 6 की भूमि से लघूतम रास्ता स्वीकृत करने में निम्नाकिंत एतराज प्रकट हुए है–

1. किला नम्बर 5 व 6 के **पश्चिमी ओर** से रास्ता स्वीकृत करने पर अप्रार्थिया का खेत 2 टुकड़ो में बंट जाएगा।

2. किला नम्बर 5 व 6 में अप्रार्थिया की ढाणी स्थित है।

इसके संबंध में न्यायालय का अभिमत यह है कि अगर किला नम्बर 5 व 6 के **पूर्वी दिशा में** उत्तर से दक्षिण की ओर रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो इससे अप्रार्थियॉ का खेत दो टुकड़ो में विभाजित नही होगा। अपीलाधीन निर्णय, उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध किसी दस्तावेजी साक्ष्य से किला नम्बर 5 व 6 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण दो किलो में यह लघूतम रास्ता स्वीकृत करने में कोई विधिक बाधा होना प्रकट नही हुआ है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

जहॉ तक अभिभाषक रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी का यह कथन है कि किला नम्बर 5 व 6 में अप्रार्थिया की ढाणी बनी हुई है। अतः यहा से रास्ता नही दिया जा सकता है। इस संबंध में हमारा अभिमत यह है कि मुताबिक मौका रिपोर्ट किला नम्बर 5 में बैर का पेड़ है, ढाणी नही है तथा किला नम्बर 6 में अगर ढाणी बनी भी है तो संलग्न फोटोग्राफस से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि ढाणी पूरे किले की भूमि पर नही बनी हुई है। इस सूरत में किला नम्बर 5 व 6 मे से लघूतम रास्ता स्वीकृत करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नही होती है।

साथ ही अप्रार्थिया समीम खातून की अपील भी इस हद तक स्वीकार योग्य है कि उसे रास्ते की भूमि के बदले प्रार्थी द्वारा भूमि प्रदान की जावे।

उक्त विवेचन के आधार पर दोनो अपीले आशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–12–2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय इस तथ्य का परीक्षण करे कि क्या मुरब्बा नम्बर 140/7 के किला नम्बर 5 व 6 की पूर्व दिशा में ढाणी को छोड़ने पर रास्ते हेतु 2–2 बिस्वा भूमि शेष रहती है अथवा नही? यदि ढाणी को छोड़कर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किला नम्बर 5 व 6 में उतर से दक्षिण 2–2 बिस्वा भूमि बचती है तो यह लघूतम मार्ग होने के कारण इसे स्वीकृत कर रास्ते के रूप में अंकन किया जावे तथा अप्रार्थिया को इस भूमि के बदले प्रतिफल में नियमानुसार भूमि प्रदान की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 14-10-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर